वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त, 2019-भाद्र 1, शके 1941

## भाग 3 ( 1 )

## विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

**CHANGE OF NAME**

I, S.M. Tajedar Adil (Sheikh Mohammad Tajedar Adil S/o Maqusudur Rahman) Residing at Flat FR-9, D-Block, Satyamev Jayate Complex, Tehsili Compound Jabalpur (M.P.), Working as Student, Have Changed my name From S.M. Tajedar Adil to Reyan Adil Vide Affidavit BA 240918 Dated 15/05/19 Sworn In Front of Notary Ramdas Sharma. That My Old Name Was Too Long And Was Causing Discrepancies in Identity Documents Hence is The Reason For Name Change.

Old Name :

**(S.M. TAJEDAR ADIL/**
**SHEIKH MOHAMMAD TAJEDAR ADIL)**
S/o Maqusudur Rahman.

New Name :

**(REYAN ADIL)**
S/o Maqusudur Rahman,
Flat FR-9, D-Block, Satyamev Jayate Complex,
Tehsili Compound Jabalpur (M.P.).

(458-B.)

**नाम परिवर्तन**

मैं, ओमप्रकाश भारती (OMPRAKASH BHARTI) पिता जुगराज भारती (JUGRAJ BHARTI), निवासी- नयागांव (ढोंढपुर), पोस्ट फिरोजपुरा, तहसील-बड़ौदा, जिला श्योपुर (म.प्र.) का हूं. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम ओमप्रकाश भारती पिता जुगराज भारती दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में ओमप्रकाश पिता जुगराज दर्ज है. जिन दस्तावेजों में ओमप्रकाश पिता जुगराज दर्ज है, के स्थान पर ओमप्रकाश भारती पिता जुगराज भारती पढ़ा एवं लिखा जावे.

आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

**( ओमप्रकाश )**

नया नाम :

**( ओमप्रकाश भारती )**

(459-बी.)

## नाम परिवर्तन

मैं, सोमनाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा सर्व-साधारण को सूचित करता हूं कि मेरा बचपन का बोलता नाम सोमू शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा था जो मेरे बीमा पॉलिसी क्रमांक 203316436 एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं सोमनाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा के नाम से ही जाना पहचाना, एवं पुकारा जाता हूं और सोमनाथ शर्मा के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूं. भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 203316436 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा बचपन का नाम सोमू शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा लिखा गया है जो कि गलत है अत: मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 203316436 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सोमू शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण के स्थान पर सोमनाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

**( सोमू शर्मा )**

नया नाम :

**( सोमनाथ शर्मा )**

पता-खेड़ापति मंदिर के अंदर ग्वालियर (म.प्र.),

(460-बी.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-सूचित हो कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम दीपिका गोधवानी पुत्री श्री घनश्यामदास गोधवानी था तथा मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती थी. सामाजिक रीति-रिवाज अनुसार मेरे विवाह उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर रिद्धि जेसवानी पत्नी श्री कपिल जेसवानी हुआ है, विवाह उपरांत से मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूं.

पुराना नाम :

**( दीपिका गोधवानी )**

नया नाम :

**( रिद्धि जेसवानी )**

पत्नी श्री कपिल जेसवानी,
निवासी- 98, ब्राईट कालोनी, ईदगाह हिल्स,
भोपाल (म.प्र.)

(461-बी.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपने पुत्र का नाम DIVYANSH GARG से बदलकर नया नाम HARSHIT GARG रख लिया है. मेरे पुत्र के सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यो एवं दस्तावेजों में मेरे पुत्र को उसे उसके नये नाम HARSHIT GARG के नाम से जाना एवं पहचाना जाये एवं उपयोग किया जावे एवं LIC की पॉलिसी क्रमांक 200674748 में भी उसका नया नाम HARSHIT GARG अंकित कर दिया जावे.

सूचनाकर्ता :

**( श्रीकृष्ण गर्ग )**

पुत्र श्री जगदीश गर्ग,
पता-अग्रवाल ज्वैलर्स, पदमा अपार्टमेन्ट,
चिटनिस की गोठ, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(462-बी.)

## नाम परिवर्तन

मैं भुवनेन्द्र रोशन पटेल आयु 44 वर्ष आत्मज श्री रोशन पटेल, पर्वू निवासी म.नं. 28, सुरैया रिसोर्ट, नंगारगांव तालुका मावल, शहर लोनावला, जिला पूणे (महाराष्ट्र.) वर्तमान पता-सी, 132, एमरोल्ड पार्क, सिटी एम्स हॉस्पीटल के पास, साकेत नगर निवास करता हूं. मेरे पुत्र का जन्म दिनांक 14-03-2009 को भोपाल में हुआ था, जन्म के पश्चात् अपने पुत्र का नाम वंश पटेल रखा गया था. किन्तु वर्तमान में अपने पुत्र का नाम परिवर्तन कर विहान रोशन (VIHAAN ROSHAN) रख लिया है. मेरे पुत्र का नाम परिवर्तन के पश्चात्, मेरे पुत्र का नाम विहान रोशन पुत्र श्री भुवनेन्द्र रोशन पटेल हो गया है, और अब वह विहान रोशन (VIHAAN ROSHAN) के नाम से जाना व पहचाना जाता है. जो कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम है, और भविष्य में यही नाम रहेगा.

सूचनाकर्ता—

**भुवनेन्द्र,**
पुत्र श्री रोशन पटेल,
निवासी-एम्स हॉस्पीटल के पास,
भोपाल (म.प्र.).

(463-बी.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूं कि मेरा नाम गजेन्द्र सिंह सगर उम्र 31 साल पुत्र श्री मोहन सिंह सगर, निवासी ग्राम चीनोर, तहसील चीनोर, जिला ग्वालियर म.प्र. का हूं. आधार कार्ड क्रमांक 558613202093 है. मुझ शपथकर्ता की पुत्री कु. संघमित्रा सागर का जन्म दिनांक 14-11-2016 को कमलाराजा हॉस्पिटल ग्वालियर म.प्र. में हुआ था. तत्स समय मैंने अपनी पुत्री का जन्म पंजीयन करवा लिया था एवं प्रमाण-पत्र भी बनवा लिया था. लेकिन मैंने उक्त अपनी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र में उक्त समय पर उसका नाम अनयता दर्ज करवाया था लेकिन अब मैं उक्त प्रमाण-पत्र में अपनी पुत्री का नाम कु. संघमित्रा सागर दर्ज करवाना चाहता हूं. सर्व सूचित हों.

**गजेन्द्र सिंह सगर**
पुत्र श्री मोहन सिंह सगर,
निवासी-ग्राम चीनोर, तहसील चीनोर,
(464-बी.) जिला ग्वालियर (म.प्र.).

---

## उपनाम-परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम हरिकान्त शर्मा आत्मज स्व. सुदामा प्रसाद शर्मा है जो कि समस्त शिक्षा संबंधी दस्तावेजों व शासकीय, अशासकीय व अर्धशासकीय विभागों में भी दर्ज है को आज दिनांक से मेरा नाम हरिकान्त उपाध्याय आ. स्व. सुदामा प्रसाद शर्मा लिखा व पढ़ा जावे समस्त शासकीय, अशासकीय व अर्धशासकीय विभागों एवं वित्तीय संस्थाओं में मेरा यही नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :
**( हरिकान्त शर्मा )**

नया नाम :
**( हरिकान्त उपाध्याय )**

(465-बी.)

---

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार का पूर्व में नाम कीर्ति कुमार पिता चैनसुख था तथा यही नाम मेरे पक्षकार की सभी अंकसूची में भी अंकित है, किन्तु अब मेरे पक्षकार ने अपना नाम बदलकर कीर्ति कुमार के बजाय कमल सिसौदिया रख लिया है तथा भविष्य मेरे पक्षकार अपना नाम कमल सिसौदिया ही रखेंगे और मेरे पक्षकार को भविष्य में कमल सिसौदिया नाम से जाना, पहचाना व पुकार जावेगा.

इस संबंध में मेरे पक्षकार ने अलग से नोटराईज्ड शपथ-पत्र (स्टाम्प क्रमांक ए.आर. 855234, दिनांक 31-07-2018) दे दिया है तथा इस जाहिर सूचना के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भविष्य में मेरे पक्षकार को कीर्ति कुमार के बजाय कमल सिसौदिया पिता चैनसुख सिसौदिया, निवासी सी-2/17, एल. आई. जी. महानन्दा नगर, उज्जैन (म.प्र.) से पुकारा जावे और यही नाम से जाना व पहचाना जावे. मेरे पक्षकार के निर्देशानुसार मेरे नाम व हस्ताक्षर से इस जाहिर सूचना को प्रकाशित करवाया गया है. सूचित.

**नितिन धनोरकर,**
(हाईकोर्ट एडवोकेट)
(475-बी.) 336, त्रिवेणी हिल्स, इन्दौर रोड,
उज्जैन (म.प्र.).

---

## नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व का नाम गजेंद्र कुमार गौतम एवं गजेंद्र गौतम दोनों ही थे मेरे सरकारी दस्तावेजों आधार कार्ड, पैनकार्ड, सर्विस रिकॉर्ड एवं बैंक रिकॉर्ड में मेरा नाम गजेंद्र गौतम अंकित है एवं मेरे पुराने पासपोर्ट में मेरा नाम गजेंद्र कुमार गौतम अंकित है. मैंने अब अपना नाम गजेंद्र गौतम रख लिया है. आज से मुझे मेरे सही नाम गजेंद्र गौतम पिता भोलाराम गौतम के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम :
**( गजेंद्र कुमार गौतम )**
पुत्र भोलाराम गौतम.

नया नाम :
**( गजेंद्र गौतम )**
पुत्र भोलाराम गौतम,
56, सुभाष गृह निर्माण समिति, कस्तूरबा नगर,
(474-बी.) रतलाम पिन 457001 (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

मैं, सतेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र वकील सिंह गुर्जर, निवासी अर्जुन कॉलोनी वार्ड नं. 4, मौ रोड, गोहद, तहसील गोहद, भिण्ड का निवासी हूँ शपथ-पत्र के द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का जन्म के समय घर का नाम श्याम कुमार सिंह गुर्जर था इसी नाम से उसकी एक जीवन बीमा पॉलिसी है जिसका क्रमांक 200146035 है. जिसमें उसका नाम श्याम कुमार सिंह गुर्जर अंकित है अब उसका नाम स्कूल दस्तावेज, अंकसूची एवं अन्य दस्तावेज तथा शासकीय दस्तावेजों आधारकार्ड में उसका नाम अभिषेक सिंह गुर्जर है तथा जन्म दिनांक 04-07-2001 है. अब इसका नाम जीवन बीमा पॉलिसी क्रमांक 200146035 में अभिषेक सिंह गुर्जर किया जाए. अत: अब मेरे पुत्र को अभिषेक सिंह गुर्जर के नाम से जाना, पहचाना जाए.

सूचनाकर्ता,
**सतेन्द्र सिंह गुर्जर.**

(473-बी.)

---

## उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम सरिता अहिरवार पिता श्री बी. एस. अहिरवार था. विवाह पश्चात् मेरा नाम सरिता चौधरी पति श्री देवेंद्र कुमार चौधरी हो गया है. अत: भविष्य में मुझे सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय दस्तावेजों में इसी नाम से जाना जाये.

| पुराना नाम : | नया नाम : |
|---|---|
| **( सरिता अहिरवार )** | **( सरिता चौधरी )** |
| **(SARITA AHIRWAR)** | **(SARITA CHOUDHARY)** |

(472-बी.)

---

## आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सपना कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जिसका पंजीयन क्रमांक 00103/12, दिनांक 23-08-2012 में पंजीकृत है जो 11, स्टेट बैंक के सामने पचवीघा स्टेशन रोड जौरा, जिला मुरैना मध्यप्रदेश में स्थित है जिसमें दिनांक 12-08-2019 को भागीदार श्री शैलेन्द्र त्यागी पुत्र श्री कल्याण सिंह त्यागी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 12-08-2019 को (1) श्रीमती गीता त्यागी पत्नी श्री भरत त्यागी, निवासी जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.), (2) श्रीमती गिरिजा त्यागी पत्नी श्री धर्मेन्द्र त्यागी, निवासी ग्राम मकूंदा, तहसील कैलारस, मुरैना म.प्र., (3) श्रीमती सपना त्यागी पत्नी श्री नवल सिंह त्यागी, निवासी जौरा, जिला मुरैना म.प्र. फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मलित हो रहे हैं तथा इसी दिनांक 12-08-2019 से फर्म का नाम मैसर्स सपना कंस्ट्रक्शन कम्पनी से परिवर्तित कर मैसर्स सपना ट्रेडर्स कर दिया गया है तथा फर्म का वर्तमान मुख्य कार्यालय 11, स्टेट बैंक के सामने पचवीघा स्टेशन रोड जौरा, जिला मुरैना मध्यप्रदेश से परिवर्ति कर नवीन कार्यालय पुलिस थाने के सामने जौरा, जिला मुरैना मध्यप्रदेश किया जा रहा है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स सपना कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
**प्रदीप कुमार त्यागी,**
(भागीदार)
11, स्टेट बैंक के सामने पचवीघा स्टेशन रोड जौरा,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(466-बी.)

---

## आम सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स विन्ध्या एग्रो से पार्टनर सौरभ दुबे पुत्र ज्ञानेन्द्र दुबे, दिनांक 31-07-19 से पृथक् हो रहे हैं. दो पार्टनर क्रमश: सौरभ कुमार पुत्र राजेश कुमार एवं शिवम सिंह पुत्र श्री रघुनदंन सिंह फर्म में शामिल हो रहे हैं.

दिनांक 31-07-2019 से श्री सौरभ दुबे के द्वारा किये गये सभी लेन-देन या करार के लिये जिम्मेदार नहीं होंगे.

मैसर्स विन्ध्या एग्रो,
**पंकज सिंह,**
(पार्टनर).

(467-बी.)

## जाहिर सूचना

मेरे पक्षकार मेसर्स बालाजी बिल्डर्स एण्ड डेव्ल्पर्स एक साझेदारी फर्म है जिसका रजिस्टर में क्रमांक 01/01/01/00587/13 है. इस फर्म में 1. श्री महेन्द्र दुबे आत्मज श्री आर. के. दुबे, 2. सीताराम अहिरवार आत्मज स्व. श्री नन्नूलाल जी, 3. अजय चतुर्वेदी आत्मज श्री मुकेश चतुर्वेदी साझेदार हैं. फर्म के साझेदारों में से श्री सीताराम अहिरवार एवं श्री अजय चतुर्वेदी ने त्याग-पत्र दे दिया है तथा फर्म में श्री विनोद कुमार लवानिया आत्मज श्री सुरेश चन्द्र लवानिया फर्म के नवीन साझेदार के रूप से जुड़ गये हैं. इस हेतु आवश्यक संशोधित साझेदारी विलेख का निष्पादन भी सभी पक्षों ने किया गया. नवीन स्थिति में अब इस फर्म में 1. श्री महेन्द्र दुबे, 2. श्री विनोद कुमार लवानिया फर्म के साझेदार हैं जिसका 50 प्रतिशत-50 प्रतिशत अंश है. इस संशोधित साझेदारी विलेख के आधार पर अब नवीन साझेदार अपना नाम पंजीयन कार्यालय में अन्य दस्तावेजों में संशोधित करवा रहे हैं. उक्त संशोधन साझेदारी विलेख के संबंध में यदि किसी, व्यक्ति, संस्था, बैंक या अन्य कार्यालय को आपत्ति है तो वह 7 दिवस में अपनी आपत्ति मय दस्तावेज के साथ मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें, अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी आपत्ति मान्य या स्वीकार नहीं होगी एवं मेरे पक्षकार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अग्रसर होंगे.

**बारिज गुप्त,**
(अधिवक्ता)
चेम्बर क्रमांक 421, उत्तमचन्द्र ईसराणा,
(468-बी.) लॉयर्स चेम्बर, अरेरा हिल्सस, भोपाल.

---

## आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री अग्रवाल कालोनाइजर्स कार्यालय पता 250, सागर प्लाजा, एम. पी. नगर जोन-2, भोपाल (म.प्र.) पंजीयन क्र. 01/01/01/00443/11, दिनांक 07-01-2011 जिसमें भागीदार श्री संजीव अग्रवाल, श्रीमती किरण अग्रवाल, श्री एम. आर. गुप्ता, श्री मनीष गुप्ता एवं श्रीमती इन्द्र गुप्ता थे. जिसमें से दिनांक 22-06-2017 को भागीदार श्री एम. आर. गुप्ता, श्री मनीष गुप्ता एवं श्रीमती इन्द्र गुप्ता, निवासीगण ए-98, शाहपुरा, भोपाल को पृथम किया गया है. सर्वजन सचित हो.

मैसर्स श्री अग्रवाल कालोनाइजर्स,
**संजीव अग्रवाल,**
(469-बी.) (भागीदार).

---

## PUBLIC NOTICE

## U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIPACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s TAHERI STORES" of ASTHA Vide Reg. No. 01/02/03/0233/15, Date of Registration 01/09/2015 undergone the following changes:-

1. That the all parties here to have decided to dissolve the said Partnership Firm w.e.f. 31/07/2019.

"M/s TAHERI STORES",
**RAHUL SETHI,**
(Partner).
Near Old Bus Stand, Astha,
(470-B.) Distt. Sehore (M.P.).

---

## PUBLIC NOTICE

## U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIPACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s SHREE FEBCHEM INDUSTRIES" of REWA Vide Reg. No. 05/22/03/00102/2011-12 dated 19-10-2011 undergone the following changes:-

1. That Smt. Sushma Pandey W/o Shri Shailendra Pandey has Joined the Partnership firm and w.e.f. 01-04-2019.
2. That Shri Ranjan Shrivastava S/o Shri L. L. Shrivastava and Smt. Sushma Shrivastava W/o Ranjan Shrivastava is also desire to retire from the Partnership firm w.e.f. 01-04-2019.

M/s SHREE FEBCHEM INDUSTRIES,
**SHAILENDRA PANDEY,**
(Partner).
Plot No. 51, Udyog Vihar,
(471-B.) Chorhata, Rewa (M.P.).

## जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मैसर्स श्री बंशीवाले स्टोन क्रेशर, 38, दुर्गापुरी, ग्वालियर (म.प्र.) में 01-08-2019 को साझेदारी फर्म में संशोधन हुआ है, जिसमें श्री गोविन्द सिंह सिसोदिया पुत्र श्री सीताराम सिसोदिया, निवासी ई. एम. ई. बर्कशॉप के सामने, मुरार, ग्वालियर श्री कुलदीप सिंह गौर पुत्र स्व. श्री जगदीश सिंह गौर, निवासी-10, अनुपम नगर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, श्री विजयंत सिंह शिकरवार पुत्र श्री उत्तम सिंह शिकरवार, निवासी शिवाजी नगर, आमखो, ग्वालियर, श्री धरमवीर राजपूत पुत्र श्री रामदयाल, निवासी-ग्राम मऊ, जिला ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से साझेदारी फर्म से पृथक् हो गये हैं भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं रहेगा, साथ ही साझेदारी फर्म में नवीन साझेदार के रूप में श्री गिर्राज सिंह परमार पुत्र श्री मुन्ना सिंह परमार, निवासी पंचबटी कॉलोनी, ए. बी. रोड, बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.) एवं श्री अमित तोमर पुत्र स्व. श्री बी. एस. तोमर, निवासी-गुदरी मौहल्ला, गुरुद्वारे वाली गली, लोहा मंडी, जिला ग्वालियर (म.प्र.) को सम्मलित किया गया है. भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदारों को स्वीकार है.

मैसर्स श्री बंशीवाले स्टोन क्रेशर,
**विक्रान्त सिंह शिकरवार,**
(भागीदार)
38, दुर्गापुरी, ग्वालियर (म.प्र.).

(476-बी.)

# विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग मल्हारगंज, इन्दौर

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री मुकेश पिता स्व. श्री रामदयालजी यादव, पता-392/17, नंदा नगर, इन्दौर द्वारा मातेश्वरी सूरज कुमारी दिव्य दायिनी न्यास, पता-392/17, नंदा नगर, इन्दौर का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

| | | |
|---|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | : | "मातेश्वरी सूरज कुमारी दिव्य दायिनी न्यास". |
| पता | : | कार्यालय पता-392/17, नंदा नगर, इन्दौर. |
| चल सम्पत्ति | : | निरंक. |
| अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

आज दिनांक 29 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

**राकेश शर्मा,**
पंजीयक.

(514)

### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जूनी इन्दौर

**फार्म-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री लाखनलाल किरार, पिता मदनलाल किरार, पता एस-31, न्यू रानी बाग लिम्बोदी, इन्दौर, 2. श्री सुनील केवट, पता-163,

भामा, तहसील तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.), 3. महेन्द्र मेहरा, पता-22, खण्डवा रोड, छोटा पावर हाउस स्टेडर पब्लिक स्कूल के सामने इन्दौर, 4. निलेश किरार, पता-23, कामधेनु पार्क, खण्डवा रोड लिम्बोदी इन्दौर के द्वारा "आजाद सेल्फ हेल्प ग्रुप चेरिटेबल ट्रस्ट", पता-5, जानकी नगर स्काई हाईट्स के सामने, बीआरटीएस के पास, नवलखा, इन्दौर मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम-4 (2) के तहत् निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 11/- का चालान क्रमांक 00292189, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 प्रस्तुत किया गया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

| | | |
|---|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | : | "आजाद सेल्फ हेल्प ग्रुप चेरिटेबल ट्रस्ट" |
| पता | : | 5, जानकी नगर स्काई हाईट्स के सामने, बीआरटीएस के पास, नवलखा, इन्दौर. |
| चल सम्पत्ति | : | 5000/- रुपए. |
| अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

आज दिनांक 01 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(515)

---

## फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री शांतिलाल नन्दलाल पीटालीया, पता-अपोलो डी.बी. सिटी, क्रेसिडा-II, फ्लेट नं. 604, निपानिया नियर बाम्बे हॉस्पिटल, इन्दौर के द्वारा "एस. एस. आर. जैन (पीटालिआ)" मानव सेवा ट्रस्ट अपोलो डी. बी. सिटी, क्रेसिडा-II, फ्लेट नं. 604, निपानिया नियर बाम्बे हॉस्पिटल, इन्दौर के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम-4 (2) के तहत् निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 05/- का चालान क्रमांक 00706102, दिनांक 24 जून, 2019 प्रस्तुत किया गया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

| | | |
|---|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | : | एस. एस. आर. जैन (पीटालिआ)" मानव सेवा ट्रस्ट. |
| पता | : | अपोलो डी. बी. सिटी, क्रेसिडा-II, फ्लेट नं. 604, निपानिया नियर बाम्बे हॉस्पिटल, इन्दौर. |
| चल सम्पत्ति | : | 47119/- रुपए. |
| अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

आज दिनांक 01 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

**शाश्वत शर्मा,**
पंजीयक.

(516)

## न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-रांझी, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 जुलाई, 2019

**प्रारुप**

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

पत्र.क्र./158/री./अ.वि.अ./2019.—आवेदन ट्रस्ट (1) श्री विद्यासुख फाउण्डेशन ट्रस्ट (न्यास) 1572, नवज्योति विद्या बिहार स्कूल भवन, सिद्ध बाबा वार्ड, जबलपुर के द्वारा रामलाल मिश्र पिता स्वामी लाल मिश्र के द्वारा न्यास पंजीयन हेतु न्यास की तरह विर्निर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के नियम-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई संपति लोक न्यास की तरह विर्निर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसमें न्यासियों का नाम पता तथा निर्धारित पद निम्नानुसार है:-

| क्र. | नाम/पिता का नाम | पता | पद |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री रामलाल मिश्र पिता स्वामी लाल मिश्र | 1572, नवज्योति विद्या विहार स्कूल भवन, सिद्ध बाबा वार्ड, जबलपुर. | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती गायत्री देवी पति रामलाल मिश्र | 1572, नवज्योति विद्या विहार स्कूल भवन, सिद्ध बाबा वार्ड, जबलपुर. | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री अभिषेक मिश्र पिता रामलाल मिश्र | 1572, नवज्योति विद्या विहार स्कूल भवन, सिद्ध बाबा वार्ड, जबलपुर. | कोषाध्यक्ष |
| 4. | श्री आनंद कुमार मिश्र पिता रामलाल मिश्र | 1572, नवज्योति विद्या विहार स्कूल भवन, सिद्ध बाबा वार्ड, जबलपुर. | सचिव |

अत: एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 25 जुलाई, 2019 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों/दावों, सुझावों पर कोई विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम एवं पता)

| | | |
|---|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम | : | श्री विद्यासुख फाउण्डेशन ट्रस्ट (न्यास) 1572, नवज्योति विद्या बिहार स्कूल भवन, सिद्ध बाबा वार्ड, जबलपुर. |
| 2. न्यास की आया का साधन | : | दान एवं चंदा, ग्रान्ट, अनुदान मेम्बर शुल्क फीस सेवा शुल्क द्वारा |
| 3. चल सम्पत्ति | : | 1001/- एक हजार एक रु. |
| 4. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

**जे. पी. यादव,**
अनुविभागीय दण्डाधिकारी.

(539)

# अन्य सूचनाएं

## कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 29 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत]

क्र./परि./2019/494.—जिले में स्थित बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., जरवाही पंजीयन क्रमांक 1071, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत दुग्ध उत्पादक एवं सहकारी समिति मर्या., जरवाही पंजीयन क्रमांक 1071, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 का पंजीयन निरस्त करती हूँ तथा यह भी आदेश देती हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(517)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत]

जिले में स्थित बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., गोहपारू पंजीयन क्रमांक 1055, दिनांक 04 जून, 2007 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., गोहपारू पंजीयन क्रमांक 1055, दिनांक 04 जून, 2007 का पंजीयन निरस्त करती हूँ तथा यह भी आदेश देती हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**शकुन्तला ठाकुर,**
उपायुक्त सहकारिता.

(518)

---

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1326 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाराजखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2165, दिनांक 31 मार्च, 2017 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री हुकुम यादव, उप अंकेक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(519)

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1350, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिटनेरा, पंजीयन क्रमांक 2001, दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री सोहन सिंह चौहान, सहकारी निरीक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(520)

---

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1349, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजलगोन, पंजीयन क्रमांक 2138, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री हुकुम यादव, उप अंकेक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(521)

---

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1348, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन

कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरस्वती सहकारी मुद्रणालय एवं स्टेशनरी विपणन संस्था मर्या., खरगौन, पंजीयन क्रमांक 2063, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री एन. के. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(522)

---

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1347, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आशापुर, पंजीयन क्रमांक 1606, दिनांक 07 फरवरी, 2011 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमड़े, सहकारी निरीक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(523)

---

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1346, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नागरजी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोराड़िया, पंजीयन क्रमांक 1891, दिनांक 10 मार्च, 2014 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री राधेश्याम चौहान, उप अंकेक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(524)

---

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1345, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपलझोपा, पंजीयन क्रमांक 1463, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री राजाराम भटट, सह. वि. अधिकारी, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(525)

---

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1344, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जुना, बलवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 1656, दिनांक 11 जुलाई, 2012 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री मनोहर वास्कले, सह. वि. अधिकारी, बड़वाह को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(526)

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1343, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भामपुरा, पंजीयन क्रमांक 1657, दिनांक 11 जुलाई, 2012 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री कैलाश वास्केल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(527)

---

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1342, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बालसमुंद, पंजीयन क्रमांक 1695, दिनांक 10 जनवरी, 2014 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री एच. सी. यादव, उप अंकेक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(528)

---

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1341, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था,

उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोदला, पंजीयन क्रमांक 2046, दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री योगेश शरद, उप अंकेक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(529)

---

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1322, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आस्तरिया, पंजीयन क्रमांक 2103, दिनांक 21 मार्च, 2016 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री मनोहर वास्कले, सह. वि. अधिकारी, बड़वाह को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(530)

---

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1321, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बामनपुरी, पंजीयन क्रमांक 1950, दिनांक 14 मार्च, 2014 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री मनोहर वास्कले, सह. वि. अधिकारी, बड़वाह को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(531)

---

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1320, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालसुद, पंजीयन क्रमांक 1654, दिनांक 11 जुलाई, 2012 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री अरूण कुमार पाण्डे, सहकारी निरीक्षक, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(532)

---

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1319, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लखनपुरा, पंजीयन क्रमांक 1598, दिनांक 28 जुलाई, 2010 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री भूषण जड़े, उप-अंकेक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(533)

खरगोन, दिनांक 19 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1364, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये किसान बालाजी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेड़िया, पंजीयन क्रमांक 1674, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री योगेश शरद, उप अंकेक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(534)

---

खरगोन, दिनांक 17 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2019/493, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर दुग्ध संयंत्र खरगौन के पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा संस्था को परिसमापन में डालने हेतु पत्र प्रेषित किया है. आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणगांव गुरूजी, पंजीयन क्रमांक 1570, दिनांक 18 मई, 2009 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(511)

---

खरगोन, दिनांक 17 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2019/491, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है तथा संस्था को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर दुग्ध संयंत्र खरगौन के पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा संस्था को परिसमापन में डालने हेतु पत्र प्रेषित किया है. आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़िया, तहसील भिकनगांव, पंजीयन क्रमांक 2014, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री योगेश शरद, उप अंके., खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**मुकेश जैन,**
उप-पंजीयक.

(512)

## कार्यालय परिसमापक उप-पंजीयक, सहकारी संस्था, जिला खरगौन

दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./सह./परि./2019/क्यू 01—उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन क्रमांक व दिनांक | विकासखण्ड | परिसमापक का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | राधीका बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., माकडखेडा. | 1552/17-07-2008 | 1062/27-08-2016 | कसरावद | आर. आर. भट्ट, सहकारी निरीक्षक |
| 2. | सफाई कर्मचारी ग्रह निर्माण सह. संस्था मर्या., कसरावद. | 1419/03-05-2005 | 1062/27-08-2016 | कसरावद | आर. आर. भट्ट, सहकारी निरीक्षक |
| 3. | आशिर्वाद प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., कसरावद. | 1449/19-10-2005 | 1062/27-08-2016 | कसरावद | आर. आर. भट्ट, सहकारी निरीक्षक |
| 4. | दीपाशा महिला प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., कसरावद. | 1597/24-07-2010 | 1062/27-08-2016 | सेगांव | आर. आर. भट्ट, सहकारी निरीक्षक |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन कार्यालयीन दिवस में प्रात: 11.00 से दोपहर 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(535)

दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./सह./परि./2019./क्यू 01—उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन क्रमांक व दिनांक | विकासखण्ड | परिसमापक का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | संयुक्त कृषि सह. संस्था मर्या., दोमवाड़ा. | 282/12-12-1966 | 805/02-07-2013 | कसरावद | आर. आर. भट्ट, सहकारी निरीक्षक. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | संयुक्त कृषि सह. संस्था मर्या., बागखेड़ा. | 255/12-12-1966 | 805/02-07-2013 | कसरावद | आर. आर. भट्ट, सहकारी निरीक्षक |
| 3. | आदिवासी मत्स्य सह. संस्था मर्या., तितरान्या. | 925/05-10-1994 | 805/02-07-2013 | कसरावद | आर. आर. भट्ट, सहकारी निरीक्षक |
| 4. | दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., रसगांव. | 1076/09-01-1997 | 1330/07-10-2013 | सेगांव | आर. आर. भट्ट, सहकारी निरीक्षक |
| 5. | दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., पिपलझोपा. | 1463/21-10-2005 | 1215/19-07-2019 | भगवानपुरा | आर. आर. भट्ट, सहकारी निरीक्षक |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक तक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन कार्यालयीन दिवस में प्रात: 11.00 से दोपहर 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

**आर. आर. भट्ट,**
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(536)

---

## कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2019

क्र./उपज/परि./2019/1077. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/3655, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 के द्वारा जयहिन्द मछुआ सहकारी समिति मर्या., सोनपुर, जिला जबलपुर, पं. क्र. 471, को परिसमापन में लाया गया था. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सह. निरी. द्वारा संस्था को परिसमापन से मुक्त करने हेतु अनुशंसा की गई है. तथा संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 28 सितम्बर, 2018 में संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु प्रस्ताव पारित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया जो उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ 5-2/2010/15-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत जयहिन्द मछुआ सहकारी समिति मर्या., सोनपुर, जिला जबलपुर, पं. क्र. 471, को परिसमापन से मुक्त करता हूँ.

संस्था के सामान्य कामकाज को निपटाने एवं विधिवत निर्वाचन कराए जाने के पूर्व तक कार्य करने के लिए निम्नलिखित कमेटी बनाई जाती है.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री रामगोपाल बर्मन | अध्यक्ष | 7. | श्रीमती मीरा बर्मन | संचालक |
| 2. | श्री प्रदीप बर्मन | उपाध्यक्ष | 8. | श्रीमती सरोज बर्मन | संचालक |
| 3. | श्री नंदकिशोर बर्मन | उपाध्यक्ष | 9. | श्री राजेश बर्मन | संचालक |
| 4. | श्री मुकेश बर्मन | संचालक | 10. | श्री रमेश बर्मन | संचालक |
| 5. | श्री बेड़ीलाल बर्मन | संचालक | 11. | श्री संदीप बर्मन | संचालक |
| 6. | श्रीमती रौशनी बर्मन | संचालक | | | |

यह आदेश आज दिनांक 17 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा के सहित जारी किया गया.

**शिवम मिश्रा,**
उप-पंजीयक.

(537)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2019.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2019-भाद्र 1, शके 1941


## भाग 3 ( 2 )

### सांख्यिकीय सूचनाएं

### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

**मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2019**

1. **मौसम एवं वर्षा**.—प्राय: राज्य में कहीं कहीं आकाश मेघाच्छादित रहा है. संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों की वर्षा का होना प्रतिवेदित की गई है.

2. **प्रारम्भिक जुताई पर वर्षा का प्रभाव :-** . .

3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव :-** . .

4. **धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-** . .

5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-** . .

6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-** जिला अनूपपुर, उमरिया व सिंगरोली में फसलें वर्षा से प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **अन्य असामयक घटना से छति :-** ओला पानी गिरने से जिला अनूपपुर, जिला उमरिया की तहसील कुसमी के 03 ग्रामों में 50 प्रतिशत फसलें प्रभावित होना व जिला सिंगरोली में वर्षा से चना फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **फसल स्थिति :-** राज्य के सभी जिलों में फसल स्थिति सामान्य रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **सिंचाई:-** जिला सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, शाजापुर, इन्दौर, बड़वानी, खण्डवा, विदिशा, भोपाल, सीहोर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

10. **पशुओं की स्थिति:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. **चारा :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. **बीज:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. **खेतिहर श्रमिक :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

**मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2019**

| जिला/तहसीलें | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धाान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **1. जिला मुरैना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. अम्बाह | . . | | 4. (1) सरसों, चना अधिक गेहूँ कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पोरसा | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं | | |
| 3. मुरैना | . . | | | | |
| 4. जौरा | . . | | | | |
| 5. कैलारस | . . | | | | |
| 6. सबलगढ़ | . . | | | | |
| **2. जिला श्योपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. श्योपुर | . . | | 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, सोंहा, मैंथी समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. कराहल | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं | | |
| 3. विजयपुर | . . | | | | |
| 4. वीरपुर | . . | | | | |
| 5. बडोदा | . . | | | | |
| **3. जिला भिण्ड :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. अटेर | . . | | 4. (1) सरसों, गेहूँ, चना. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. भिण्ड | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 3. गोहद | . . | | | | |
| 4. मेहगांव | . . | | | | |
| 5. लहार | . . | | | | |
| 6. रौन+मिहोना | . . | | | | |
| 7. गोरमी | . . | | | | |
| 8. मौ | . . | | | | |
| **4. जिला ग्वालियर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. ग्वालियर | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. डबरा | . . | | (2) . . | | |
| 3. भितरवार | . . | | | | |
| 4. चीनोर | . . | | | | |
| 5. घाटीगांव | . . | | | | |
| **5. जिला दतिया :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सेंवढ़ा | . . | | 4.(1) गन्ना, गेहूँ अधिक. सरसों, जौ समान. चना, मटर, मसूर कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. दतिया | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 3. इन्दरगढ़ | . . | | | | |
| 4. बढौनी | . . | | | | |
| 5. भाण्डेर | . . | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.जिला शिवपुरी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. शिवपुरी | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पिछोर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. खनियाधाना | . . | | | | |
| 4. नरवर | . . | | | | |
| 5. करैरा | . . | | | | |
| 6. कोलारस | . . | | | | |
| 7. पोहरी | . . | | | | |
| 8. बैराढ़ | . . | | | | |
| 9. बदरवास | . . | | | | |
| **7. जिला अशोकनगर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. मुँगावली | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ईसागढ़ | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. अशोकनगर | . . | | | | |
| 4. चन्देरी | . . | | | | |
| 5. नई सराय | . . | | | | |
| 6. पिपरई | . . | | | | |
| 7. शाढौरा | . . | | | | |
| **8. जिला गुना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गुना | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. राघोगढ़ | . . | | धनियां, बीज समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बमोरी | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | | |
| 4. आरोन | . . | | | | |
| 5. चाचौड़ा | . . | | | | |
| 6. मकसूदनगढ़ | . . | | | | |
| 7. कुम्भराज | . . | | | | |
| **9. जिला टीकमगढ़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवाड़ी | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पृथ्वीपुर | . . | | राई-सरसों अधिक. तुअर, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जतारा | . . | | गन्ना कम. | | |
| 4. टीकमगढ़ | . . | | (2)उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 5. बल्देवगढ़ | . . | | | | |
| 6. पलेरा | . . | | | | |
| 7. खरगापुर | . . | | | | |
| 8. मोहनगढ़ | . . | | | | |
| 9. लिधौरा | . . | | | | |
| 10. ओरछा | . . | | | | |
| **10. जिला छतरपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. लौण्डी | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, जौ अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. गौरीहार | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नौगांव | . . | | | | |
| 4. छतरपुर | . . | | | | |
| 5. राजनगर | . . | | | | |
| 6. बिजावर | . . | | | | |
| 7. बड़ा मलहरा | . . | | | | |
| 8. लवकुशनगर | . . | | | | |
| 9. बक्सवाहा | . . | | | | |
| 10. महाराजपुर | . . | | | | |
| 11. चंदला | . . | | | | |
| 12. धुवारा | . . | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **11. जिला पन्ना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. अजयगढ़ | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पन्ना | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. गुन्नौर | . . | | | | |
| 4. पवई | . . | | | | |
| 5. शाहनगर | . . | | | | |
| 6. देवेन्द्रनगर | . . | | | | |
| 7. अमानगंज | . . | | | | |
| 8. सिमरिया | . . | | | | |
| 9. रैपुरा | . . | | | | |
| **12. जिला सागर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बीना | . . | | 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खुरई | . . | | तिबड़ा, राई-सरसों, अलसी | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बण्डा | . . | | गन्ना कम. आलू-प्याज | | |
| 4. सागर | . . | | अधिक. | | |
| 5. रेहली | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | | |
| 6. देवरी | . . | | | | |
| 7. गढ़ाकोटा | . . | | | | |
| 8. राहतगढ़ | . . | | | | |
| 9. केसली | . . | | | | |
| 10. मालथोन | . . | | | | |
| 11. शाहगढ़ | . . | | | | |
| **13. जिला दमोह :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हटा | . . | | 4. (1) मसूर, बटरी अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. बटियागढ़ | . . | | तुअर, चना, गेहूँ कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. दमोह | 1.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 4. पथरिया | . . | | | | |
| 5. जवेरा | . . | | | | |
| 6. तेन्दूखेड़ा | . . | | | | |
| 7. पटेरा | . . | | | | |
| **14. जिला सतना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. रघुराजनगर | 5.4 | | 4. (1) तुअर, मटर, अलसी समान. | 6. संतोषप्रद | 8. पर्याप्त. |
| 2. मझगवां | . . | | गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. रामपुर-बघेलान | 9.0 | | जौ कम. | | |
| 4. नागौद | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 5. उचेहरा | 5.0 | | | | |
| 6. अमरपाटन | 15.0 | | | | |
| 7. रामनगर | 22.0 | | | | |
| 8. मैहर | 27.0 | | | | |
| 9. कोठर | . . | | | | |
| 10. बिरसिंहपुर | 1.0 | | | | |
| **15. जिला रीवा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. त्यौंथर | . . | | 4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरमौर | . . | | अलसी, ज्वार, तुअर कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मऊगंज | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 4. हनुमना | . . | | | | |
| 5. हुजूर | . . | | | | |
| 6. गुढ़ | . . | | | | |
| 7. मनगवां | . . | | | | |
| 8. सेमरिया | . . | | | | |
| 9. जवा | . . | | | | |
| 10. नईगढ़ी | . . | | | | |
| 11. रायपुरकर्चुलियान | . . | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **16. जिला शहडोल:** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोहागपुर | 18.0 | | 4. (1) तुअर, राई, चना, गेहूँ, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ब्यौहारी | 12.0 | | मसूर, मटर, अलसी अधिक. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जयसिंहनगर | 2.0 | | (2) तुअर बिगड़ी हुई हैं. | | |
| 4. बुढ़ार | 22.0 | | शेष फसलें सुधरी हुई हैं. | | |
| 5. गोहपारू | 12.0 | | | | |
| 6. जैतपुर | 16.0 | | | | |
| **17. जिला अनूपपुर :** | मिलीमीटर | 2. रोग व कीड़ों से 5% छति | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जैतहरी | 36.9 | बाकी फसलें वर्षा से 10% | 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. अनूपपुर | 65.2 | प्रभावित ओलावृष्टि से फसलों | अलसी, मटर समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कोतमा | 112.8 | में क्षति हुई है. | (2)तुअर, मसूर बिगड़ी हुई. | | |
| 4. पुष्पराजगढ़ | 53.3 | | अलसी समान हैं. गेहूँ, चना | | |
| | | | सुधरी हुई हैं. | | |
| **18. जिला उमरिया :** | मिलीमीटर | 2. खड़ी फसले ओला व | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बांधवगढ़ | 13.8 | वर्षा से प्रभावित हुई हैं. | 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, तुअर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाली | 9.8 | | मटर, मसूर समान. | चारा पर्याप्त, | |
| 3. चंदिया | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 4. नौरोजाबाद | . . | | | | |
| 5. मानपुर | 18.5 | | | | |
| **19. जिला सीधी :** | मिलीमीटर | 2. ओला वृष्टि से तहसील | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गोपदवनास | 20.0 | कुसमी में 3 ग्रामों में रबी | 4. (1) अलसी, राई-सरसों,गेहूँ, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिंहावल | 17.0 | फसलें 50% तक क्षति | मसूर, जौ, चना समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मझौली | 24.0 | हुई है. | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 4. कुसमी | 14.0 | | | | |
| 5. चुरहट | 25.0 | | | | |
| 6. बहरी | 25.6 | | | | |
| 7. रामपुरनैकिन | 18.5 | | | | |
| **20. जिला सिंगरौली :** | मिलीमीटर | 2. वर्षा से चना फसल प्रभावित | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. चितरंगी | 16.6 | हुई है. | 4. (1) तुअर, चना, जौ अधिक. गेहूँ | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. देवसर | 18.2 | | राई-सरसों, अलसी समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सरई | . . | | (2) तुअर बिगड़ी हुई है. राई, | | |
| 4. माडा | . . | | अलसी समान है. | | |
| 5. सिंगरौली | 35.0 | | गेहूँ, चना, जौ सुधरी हुई है. | | |
| **21. जिला मंदसौर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सुवासरा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. भानपुरा | . . | | राई-सरसों कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मल्हारगढ़ | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | | |
| 4. गरोठ | . . | | | | |
| 5. मंदसौर | . . | | | | |
| 6. दालोद | . . | | | | |
| 7. श्यामगढ़ | . . | | | | |
| 8. सीतामऊ | . . | | | | |
| 9. धुंधड़क्का | . . | | | | |
| 10. संजीत | . . | | | | |
| 11. कयामपुर | . . | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **22. जिला नीमच :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावद | . . | | 4.(1) गेहूँ, सरसों, अलसी अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. नीमच | 1.0 | | चना, मसूर कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सिंगौली | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | | |
| 4. जीरन | . . | | | | |
| 5. रामपुर | . . | | | | |
| 6. मनासा | . . | | | | |
| **23. जिला रतलाम :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावरा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना कम. शवा कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. आलोट | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सैलाना | . . | | | | |
| 4. बाजना | . . | | | | |
| 5. ताल | . . | | | | |
| 6. रावटी | . . | | | | |
| 7. पिपलोदा | . . | | | | |
| 8. रतलाम | . . | | | | |
| **24. जिला उज्जैन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. खाचरौद | . . | | 4. (1) चना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. महिदपुर | . . | | गेहूँ, मसूर कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. तराना | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 4. घटिया | . . | | | | |
| 5. उज्जैन | . . | | | | |
| 6. बड़नगर | . . | | | | |
| 7. नागदा | . . | | | | |
| **25. जिला आगर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़ौद | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सुसनेर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | चारा पर्याप्त | |
| 3. नलखेड़ा | . . | | | | |
| 4. आगर | . . | | | | |
| **26. जिला शाजापुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. मोमनबड़ोदिया | . . | | 4. (1) चना, मसूर अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाजापुर | . . | | गेहूँ, प्याज, लहसुन कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. शुजालपुर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 4. कालापीपल | . . | | | | |
| 5. पोलाय कलां | . . | | | | |
| 6. अबंतीपुर बडौदिया | . . | | | | |
| 7. गुलाना | . . | | | | |
| **27. जिला देवास :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोनकच्छ | . . | | 4. (1) मसूर, मटर, राई-सरसों | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. टोंकखुर्द | . . | | अधिक. गेहूँ, उड़द (रबी), | चारा पर्याप्त. | |
| 3. देवास | . . | | मूँग(रबी), चना कम. | | |
| 4. बागली | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 5. कन्नोद | . . | | | | |
| 6. हाटपिपल्या | . . | | | | |
| 7. सतवास | . . | | | | |
| 8. उदयनगर | . . | | | | |
| 9. खातेगांव | . . | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **28. जिला झाबुआ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. थांदला | . . | | 4. (1) उड़द(रबी), मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. मेघनगर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 3. पेटलावद | . . | | | | |
| 4. झाबुआ | . . | | | | |
| 5. राणापुर | . . | | | | |
| **29. जिला अलीराजपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जोवट | . . | | 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. अलीराजपुर | . . | | (2) . . | | |
| 3. कट्टीवाड़ा | . . | | | | |
| 4. सोंडवा | . . | | | | |
| 5. उदयगढ़ | . . | | | | |
| 6. चन्द्रशेखर आ. नगर | . . | | | | |
| 7. भामरा | . . | | | | |
| **30. जिला धार :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त |
| 1. बदनावर | . . | | 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक. गन्ना, गेहूँ, अलसी, मटर, जौ कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सरदारपुर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 3. धार | . . | | | | |
| 4. कुक्षी | . . | | | | |
| 5. मनावर | . . | | | | |
| 6. धरमपुरी | . . | | | | |
| 7. गंधवानी | . . | | | | |
| 8. डही | . . | | | | |
| **31. जिला इन्दौर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. देपालपुर | . . | | 4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना, अलसी, तुअर कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सांवेर | . . | | (2) गेहूँ सुधरी. शेष फसलें समान हैं. | | |
| 3. इन्दौर | . . | | | | |
| 4. गौतमपुरा | . . | | | | |
| 5. हातोद | . . | | | | |
| 6. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर) | . . | | | | |
| **32. जिला खरगौन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वाह | . . | | 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना, राई-सरसों कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. महेश्वर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 3. सेगांव | . . | | | | |
| 4. खरगौन | . . | | | | |
| 5. गोगावां | . . | | | | |
| 6. कसरावद | . . | | | | |
| 7. भगवानपुरा | . . | | | | |
| 8. भीकनगांव | . . | | | | |
| 9. सनावद | . . | | | | |
| 10. झिरन्या | . . | | | | |
| **33. जिला बड़वानी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वानी | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. ठीकरी | . . | | (2) . . | | |
| 3. राजपुर | . . | | | | |
| 4. सेंधवा | . . | | | | |
| 5. पानसेमल | . . | | | | |
| 6. पाटी | . . | | | | |
| 7. अंजड | . . | | | | |
| 8. बरला | . . | | | | |
| 9. निवाली | . . | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **34. जिला खण्डवा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. खण्डवा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पुनासा | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. खालवा | . . | | | | |
| 4. पंधाना | . . | | | | |
| 5. हरसूद | . . | | | | |
| **35. जिला बुरहानपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बुरहानपुर | . . | | 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खकनार | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नेपानगर | . . | | | | |
| **36.जिला राजगढ़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. राजगढ़ | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. जीरापुर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. खिलचीपुर | . . | | | | |
| 4. ब्यावरा | . . | | | | |
| 5. सारंगपुर | . . | | | | |
| 6. पचोर | . . | | | | |
| 7. नरसिंहगढ़ | . . | | | | |
| **37. जिला विदिशा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. लटेरी | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरोंज | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं हैं. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कुरवाई | . . | | | | |
| 4. बासोदा | . . | | | | |
| 5. नटेरन | . . | | | | |
| 6. विदिशा | . . | | | | |
| 7. गुलाबगंज | . . | | | | |
| 8. शमसाबाद | . . | | | | |
| 9. त्योंदा | . . | | | | |
| 10. पठारी | . . | | | | |
| 11. ग्यारसपुर | . . | | | | |
| **38. जिला भोपाल :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बैरसिया | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. हुजूर | . . | | तिवड़ा कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बैरागढ़ | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| **39. जिला सीहोर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सीहोर | . . | | 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. आष्टा | . . | | तुअर समान. गेहूँ, अलसी, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. इछावर | . . | | मटर, जौ कम. | | |
| 4. नसरूल्लागंज | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| 5. रेहटी | . . | | | | |
| 6. श्यामपुर | . . | | | | |
| 7. जावर | . . | | | | |
| 8. बुधनी | . . | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **40. जिला रायसेन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. रायसेन | . . | | 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी अधिक. गन्ना कम. (2) तुअर बिगड़ी हुई. शेष फसलें समान हैं. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. गैरतगंज | . . | | | | |
| 3. बेगमगंज | . . | | | | |
| 4. गोहरगंज | . . | | | | |
| 5. बरेली | . . | | | | |
| 6. सिलवानी | . . | | | | |
| 7. बाड़ी | . . | | | | |
| 8. सुल्तानपुर | . . | | | | |
| 9. उदयपुरा | . . | | | | |
| **41. जिला बैतूल :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बैतूल | . . | | (1) गेहूँ, चना समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. भैंसदेही | . . | | (2) . . | | |
| 3. घोड़ाडोंगरी | . . | | | | |
| 4. शाहपुर | . . | | | | |
| 5. चिचोली | . . | | | | |
| 6. मुल्ताई | . . | | | | |
| 7. आठनेर | . . | | | | |
| 8. आमला | . . | | | | |
| **42. जिला होशंगाबाद :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. होशंगाबाद | . . | | 4. (1) गेहूँ , मसूर, गन्ना अधिक. चना, राई-सरसों, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिवनी-मालवा | . . | | | | |
| 3. बावई | . . | | | | |
| 4. इटारसी | . . | | | | |
| 5. सोहागपुर | . . | | | | |
| 6. पिपरिया | . . | | | | |
| 7. बनखेड़ी | . . | | | | |
| 8. डोलरिया | . . | | | | |
| 9. पचमढ़ी | . . | | | | |
| **43. जिला हरदा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हरदा | . . | | 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. खिड़किया | . . | | | | |
| 3. सिराली | . . | | | | |
| 4. रेहटगांव | . . | | | | |
| 5. हंडिया | . . | | | | |
| 6. टिमरनी | . . | | | | |
| **44. जिला जबलपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जबलपुर | 5.4 | | 4. (1) चना, मटर, मसूर, राई-सरसों कम. गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं हैं. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. कुण्डम | 4.0 | | | | |
| 3. सीहोरा | 1.6 | | | | |
| 4. पाटन | . . | | | | |
| 5. मझौली | . . | | | | |
| 6. शाहपुरा | . . | | | | |
| 7. पनागर | . . | | | | |
| **45. जिला कटनी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बहोरीबंद | 5.8 | | 4. (1) तुअर, चना, राई-सरसों, गेहूँ. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं हैं. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. ढीमरखेड़ा | 30.4 | | | | |
| 3. रीठी | 4.2 | | | | |
| 4. बड़वारा | 11.0 | | | | |
| 5. मुड़वारा (कटनी) | 10.8 | | | | |
| 6. विजयराघवगढ़ | 7.0 | | | | |
| 7. बरही | 16.0 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **46. जिला नरसिंहपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. नरसिंहपुर | . . | | 4. (1) तुअर, गन्ना, चना, मसूर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. गोटेगांव | . . | | अधिक. मटर कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. करेली | . . | | (2) . . | | |
| 4. गाडरवारा | . . | | | | |
| 5. तेंदूखेड़ा | . . | | | | |
| **47. जिला मण्डला :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. मण्डला | 20.8 | | 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. नैनपुर | 10.9 | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बिछिया | 11.1 | | हुई हैं. | | |
| 4. निवास | 12.4 | | | | |
| 5. नारायणगंज | 5.8 | | | | |
| 6. घुघरी | 12.4 | | | | |
| **48. जिला डिण्डोरी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. डिण्डौरी | 8.4 | | 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाहपुरा | 36.0 | | मसूर, अलसी, लाख समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बजाग | 9.6 | | (2) उपरोक्त फसलें समान हैं. | | |
| **49. जिला छिन्दवाड़ा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. छिन्दवाड़ा | 2.0 | | 4. (1) गेहूँ, गेहूँ, चना | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. तामिया | . . | | (2) गेहूँ सुधरी हुई है. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. परासिया | . . | | | | |
| 4. जुन्नारदेव | . . | | | | |
| 5. सौंसर | . . | | | | |
| 6. बिछुआ | . . | | | | |
| 7. अमरवाड़ा | 0.4 | | | | |
| 8. चौरई | 4.2 | | | | |
| 9. उमरेठ | . . | | | | |
| 10. मोहखेड | . . | | | | |
| 11. हर्रई | 5.0 | | | | |
| 12. चांद | . . | | | | |
| 13. पांढुर्णा | . . | | | | |
| **50. जिला सिवनी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. बरघाट | . . | | अलसी, तिवड़ा, तुअर. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कुरई | . . | | (2) . . | | |
| 4. केवलारी | . . | | | | |
| 5. लखनादोन | . . | | | | |
| 6. छपारा | . . | | | | |
| 7. धनोरा | . . | | | | |
| 8. घंसोर | . . | | | | |
| **51. जिला बालाघाट :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बालाघाट | . . | | 4. (1) गेहूँ समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. लाँजी | . . | | (2) गेहूँ समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. किरनापुर | . . | | | | |
| 4. बैहर | . . | | | | |
| 5. वारासिवनी | . . | | | | |
| 6. कटंगी | . . | | | | |
| 7. लालबर्रा | . . | | | | |
| 8. तिरोडी | . . | | | | |
| 9. परसवाड़ा | . . | | | | |
| 10. बिरसा | . . | | | | |
| 11. खैरलाँजी | . . | | | | |

**ओ. पी. बाथम,**
प्रभारी सहायक आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(513)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित–2019.